सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 23 राँची, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-78/2017-33693 (HRMS)--श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2873, दिनांक 08.06.2017 के माध्यम से उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-586/स्था0, दिनांक 05.05.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। साथ ही, गठित आरोपों के लिए श्री कुमार को निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् है-

आरोप-

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित तथा अंचल अधिकारी, चुरचू के अतिरिक्त प्रभार में रहने के दौरान वर्ष 2017 में दिनांक 17.02.2017 से 23.02.2017 तक अवकाश आवेदन देकर नियंत्री पदाधिकारी से बिना स्वीकृत कराये अनधिकृत रूप से मुख्यालय से प्रस्थान कर गये।

2. अवकाश आवेदन में सम्पर्क सूत्र हेतु पता भी अंकित नहीं किया गया। दिनांक 04.03.2017 तक इनके द्वारा अवकाश विस्तार हेतु आवेदन पत्र भी नहीं भेजा गया और न ही नियंत्री पदाधिकारी से मोबाईल, दूरभाष अथवा अन्य कोई माध्यम से अनुपस्थिति के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया। नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा इनके मोबाईल पर सम्पर्क करने पर मोबाईल स्वीचआफ पाया गया, जिससे सम्पर्कशून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई।

3. श्री खाखा सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के रूप में कार्यरत अवधि के दौरान मनरेगा एवं इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में कोई अभिरूचि नहीं लेने के कारण पूर्व में भी प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया था। श्री खाखा सुशील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह अंचल अधिकारी, चुरचू, हजारीबाग एक आदतन लापरवाह पदाधिकारी है।

4. श्री खाखा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ अंचल अधिकारी, चुरचू के अतिरिक्त प्रभार में हैं, अतः इनके अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण मनरेगा योजना के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2017 को आयोजित आम बागवानी कार्यशाला से संबंधित विषय प्रभावित होने के साथ-साथ विकास के अन्य कार्यों एवं राजस्व संबंधी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

अतः इनका कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के सर्वथा प्रतिकूल है।

उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0-7971, दिनांक 11.07.2017 श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-8133, दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

श्री कुमार के पत्र, दिनांक 11.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10446, दिनांक 09.10.2017 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-281, दिनांक 26.02.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा मंतव्य में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त मंतव्य एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-6244(HRMS), दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया है तथा विभागीय संकल्प सं0-7701(HRMS), दिनांक 29.07.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-357, दिनांक 15.05.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप सं0-2 को प्रमाणित प्रतिवेदत किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-5372, दिनांक 11.08.2025 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है, परन्तु श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया और न ही उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु समय की माँग की गई। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर श्री कुमार को कुछ नहीं कहना है।

अतः श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SUSHIL KUMAR KHAKHA 110013186521	श्री खाखा सुशील कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-344/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 23 - 50